

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/2011-12/ 794 दिनांक - 9/1/12

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवानियम 2010 के तहत उपस्थित अनुदानित बी.एड. कॉलेजों के अधिगृहीत शैक्षणिक कर्मचारियों (व्याख्याताओं एवं अनुदेशकों) को वेतन आदि समेकित माह सितम्बर, 2012 से दिसम्बर 2012 (4 माह) के लिए राशि रूपया 30,000/-प्रतिमाह भुगतान की स्वीकृति निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान आज दिनांक तक नियमित रूप से उपस्थित कर्मचारियों को बजट शीर्ष 2202-03-103-(02) राजकीय महाविद्यालय पुरुषों के लिए -(00)-01 संवेतन (आयोजना भिन्न) मद में उपलब्ध बजट प्रावधान में से किया जाना है।
2. राज्य के अनुदानिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से समायोजन हेतु आये व्याख्याताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालयों द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जानी है।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम जिसमें उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) का भुगतान कालम सं0 3 में अंकित महाविद्यालय द्वारा किया जाना है।	महाविद्यालय का नाम जिसमें कालम संख्या 2 में अंकित महाविद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) का भुगतान किया जाना है।
1	2	3
1	राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा	राजकीय महाविद्यालय, सिरौही
2	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़
3	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा
4	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा
5	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद

3. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान नियमित वेतन से समायोजन के अधीन होगा।
4. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान अविलम्ब करवाया जाकर विभाग को अवगत करवाया जाना है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 10120415 दिनांक 24.12.2012 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गई है।



निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/2011-12/

दिनांक -

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय आदेश एफ.1 (बी.एड)स्था./निकाशि/2012/259 दि.11.7.2012 की पालना वित्त विभाग के निर्देश अनुसार सुनिश्चित करावे।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने हेतु।
7. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान/सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप-कोषाधिकारी
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली



वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर